भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3319

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

खादी क्षेत्र में रोजगार युक्त गांव योजना

3319. **श्रीमती मंजू शर्माः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खादी क्षेत्र में उद्यम-आधारित व्यावसायिक मॉडल शुरू करने के लिए 'रोजगार युक्त गाँव' (आरवाईजी) योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कवर किए गए गाँवों और खर्च की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राम-आधारित उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): खादी विकास योजना (केवीवाई) का एक घटक रोजगार युक्त गांव (आरजीवाई) योजना को 50 गांवों में उद्यम-आधारित मॉडल शुरू करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई थी और इसके लिए वर्ष 2019-20 में 41.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं और उस दौरान कोविड-19 महामारी की स्थिति की वजह से आरजीवाई स्कीम आगे नहीं बढ़ सकी। परिणामस्वरूप, स्कीम व्यवहार्य नहीं पाई गई और इसे वित्त वर्ष 2021-22 से बंद कर दिया गया।

(ग): सरकार ने ग्राम आधारित उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं नई प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई) और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न ग्रामोद्योग क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण तथा उपकरण/उपस्कर और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान की जा रही है।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सतत रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने में भावी उद्यमियों की सहायता करना है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सहायता-प्राप्त कुल इकाइयों में से लगभग 80% मुख्य रूप से ग्राम उद्योग कार्यकालापों यथा मधुमक्खी पालन, कुटीर माचिस उद्योग, आतिशबाजी और अगरबत्ती, कुटीर मिट्टी के बर्तन और साबुन बनाना, कुटीर चमड़ा उद्योग, घानी तेल प्रसंस्करण, गन्ने के गुड़ और खांडसारी का विनिर्माण, अनाज, दलहन, मसालों और कॉनडिमेंट का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन; गाय के गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से खाद का निर्माण, चूना आधारित उद्योग, फल और सब्जी प्रसंस्करण, बांस और बेंत का काम, लोहार का काम, बढ़ई का काम, एल्युमीनियम घरेलू बर्तनों का विनिर्माण, कत्था और गोंद का विनिर्माण, पॉली-वस्त्र का कार्य, मक्का और रागी का प्रसंस्करण तथा रबर उत्पादों का विनिर्माण से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र हैं।

(iii) मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय कयर बोर्ड कयर विकास योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देशभर में कयर कारीगरों और कयर उद्योग के सतत विकास, वृद्धि और सहायता को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के अंतर्गत, ग्राम आधारित कयर उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें नई तकनीकों, मशीनों और मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास और उनका कयर उद्यमियों, इकाइयों और कारीगरों तक प्रसार करना; कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है।

*****